राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. क्रिमिनल मिस (पेट.) संख्या 5848/2024

मोहम्मद सादिक पुत्र इसाक मोहम्मद, उम्र लगभग 43 वर्ष, गली नं. 2, धोबी तलाई, बीकानेर (राज.) -----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री श्रीकांत वर्मा

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री विक्रम राजपुरोहित - पीपी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

02/09/2024

1. याचिकाकर्ता (आरोपी) की शिकायत, बीकानेर के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 3 द्वारा आपराधिक विविध प्रकरण संख्या 158/2024 (सीआईएस संख्या 383/2024) में पारित दिनांक 14.08.2024 के आदेश के

आधार पर है, जो कोटगेट पुलिस स्टेशन, जिला बीकानेर में दर्ज एफआईआर संख्या 13/2022 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें धारा 307, 147, 148, 341, 323, 324, 325, 326 और 120-बी आईपीसी के साथ धारा 149 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27, 25(6), 25(7), 25(8), 3/25 और 5/25 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी बेटी की सगाई समारोह में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।

2. सर्वप्रथम याचिका से संबंधित तथ्य। याचिकाकर्ता अपनी बेटी समीरा की सगाई मस्कट, ओमान निवासी मुराद मोहम्मद के बेटे हुसैन के साथ करना चाहता है। उसे 18.07.2024 से 15.10.2024 तक की अवधि के लिए वीजा पहले ही जारी किया जा चुका है।

3. सुनवाई।

4. मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता, हालांकि एक अभियुक्त है, फिर भी उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, जिसमें यात्रा करने और महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार शामिल है। उसे अपनी बेटी की सगाई समारोह में शामिल होने का अवसर न देने से अपूरणीय भावनात्मक क्षति होगी और पारिवारिक बंधन बनाए रखने के उसके अधिकार का उल्लंघन होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर उसे भागने का जोखिम पाया जाता है, तो उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का न्यायिक प्रक्रिया से बचने का कोई इरादा नहीं है। वह ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है, जिसमें व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करना, निर्दिष्ट तिथि तक भारत लौटने का वचन देना और हवाई टिकट जैसे प्रासंगिक यात्रा दस्तावेज जमा

करना शामिल है। इस प्रकार कोई उचित आशंका नहीं है कि वह उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, कुल 27 गवाहों में से केवल एक गवाह का बयान दर्ज किया गया है, जो दर्शाता है कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है। मुकदमे के समापन में बहुत लंबा समय लगेगा, और मुकदमे के लंबित रहने के आधार पर बेटी की सगाई की अनुमति को अनिश्चित काल के लिए अस्वीकार करना अनुचित है।

7. याचिकाकर्ता की अपनी बेटी की सगाई समारोह के लिए संक्षिप्त यात्रा चल रहे मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी यात्रा की तारीखें किसी भी निर्धारित अदालती कार्यवाही से टकराएं नहीं, और याचिकाकर्ता की उपस्थिति उसके अद्यतन संपर्क विवरण प्रदान करके सुनिश्चित की जा सकती है।

8. यह सुझाव कि याचिकाकर्ता समारोह में भाग ले सकता है, वस्तुतः अनुचित लगता है और सांस्कृतिक और कानूनी मानदंडों की अवहेलना करता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।